महत्वपूर्ण /शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 2758 /9–2–2009–95सा/08

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।
3. आयुक्त,
आगरा मण्डल, लखनऊ मण्डल, कानपुर मण्डल, वाराणसी मण्डल, इलाहाबाद मण्डल एवं मेरठ मण्डल।
4. जिलाधिकारी,
आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा।
5. महाप्रबन्धक,
जल संस्थान,
आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ।
6. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मथुरा।

नगर विकास अनुभाग–2

लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर ,2009

विषयः–आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ तथा मथुरा में मीटर युक्त जल सम्पूर्ति प्रणाली लागू किये जाने तथा जल के उपभोग की मात्रा के आधार पर दरें निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार व राज्य सरकार की सहभागिता से प्रचलित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक की जनसंख्या व सांस्कृतिक महत्ता वाले बड़े नगरों यथा आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ तथा मथुरा में पेयजल की समस्या के निराकरण तथा पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु योजनाएँ स्वीकृत की जा रही हैं तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जे.एन.एन.यू. आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार रिफार्म एजेण्डा के तहत स्थानीय निकाय स्तर पर कुछ आवश्यक सुधार लागू किये जाने की अनिवार्यता है, जिसमें एक सुधार पेयजल प्रणाली के संचालन व अनुरक्षण की निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से समुचित यूजर चार्जेज (जल मूल्य) लगाया जाना है। परियोजनाओं की स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पहले राज्य

सरकार तथा सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा 'मैमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट' (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित कर उल्लिखित सुधार लागू किये जाने का आश्वास दिया गया है। अतः भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु मीटर युक्त प्रणाली तथा मात्रा आधारित जल उपभोग विभिन्न स्तरीय जल मूल्य निर्धारण (वाल्यूमैट्रिक मल्टीलेवल टैरिफ प्लान) के अनुसार उपभोग की गयी जल की मात्रा का मूल्य (यूजर चार्जेज) लगाये जाने की अनिवार्यता है।

2— उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी जल का अपव्यय अत्यधिक है। नगरों में आपूर्ति किये जा रहे जल का अधिकांश भाग अपव्यय हो जाता है और इसका कोई मूल्य संचालन व अनुरक्षण करने वाली नियामक संस्था को प्राप्त नही होता। शोध अध्ययनों के अनुसार नॉन रिवेन्यू वाटर (एन.आर.डब्लू), अन एकाउन्टेड फॉर वाटर (यू.ए.डब्लू), लगभग 40 से 50 प्रतिशत आंकलित किया गया है। इस प्रकार पेय योग्य उत्पादित एवं शोधित जल की मात्रा का लगभग आधा भाग अपव्यय हो जाता है। उत्पादन एवं शोधन पर व्यय की गयी धनराशि का भी अपव्यय होता है। प्राकृतिक सम्पदा का भी ह्रास होता है। उक्त आंकलित अपव्यय की मात्रा को घटाकर 15 प्रतिशत तक लाने के लिए अन्य उपायों के साथ--साथ मितव्ययिता से पेयजल का उपयोग किये जाने एवं जल संरक्षण व अपव्यय रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जल को माप कर ही आपूर्ति किया जाए एवं उपभोक्ताओं से उनके द्वारा प्रयुक्त की गयी मात्रा का यथोचित मूल्य लिया जाए। विद्यमान व्यवस्था में बिना मीटर के जलापूर्ति करने में जल का अपव्यय अत्यधिक होता है। अतः इसे रोकने हेतु जल की मात्रा के बढ़ते क्रम में बढ़ता हुआ मूल्य (टैलिस्कोपिक ब्लॉक टैरिफ प्लान) लगाये जाने तथा कम जल की मात्रा प्रयोग करने पर अपेक्षाकृत कम जल मूल्य रोपित करने तथा अधिक जल की मात्रा उपभोग करने पर गुणक में अधिक जल मूल्य रोपित किया जाना न्यायोचित होगा। निम्न आय वर्ग व दुर्बल आय वर्ग के परिवारों को न्यूनतम आवश्यक जल की मात्रा का व्यय— भार पार रियायत (क्रास सब्सिडाइज्ड) करके बहुत ही कम जल मूल्य पर रोपित करके अथवा निःशुल्क पेय जलापूर्ति की ज सकती है। इस प्रकार टैरिफ प्लान बनाने तथा मीटर युक्त जलापूर्ति करने से गरीब परिवारों को न्यूनतम जल की मात्रा के मूल्य (यूजर चार्जेज) पर व अधिक जल की मात्रा का प्रयोग करने वाले अन्य उच्च व मध्यम आय वर्ग को जल की मात्रा के मूल्य (यूजर चार्जेज) पर उससे कई गुना जलापूर्ति की जानी संभव होगी। फलस्वरूप जल का अपव्यय कम होगा। जल एक प्राकृतिक सम्पदा है एवं दिनोंदिन भूगर्भ जल व स्तर अनवरत नीचे गिरता जा रहा है, अतः वर्तमान में हो रहे जल के अपव्यय कारण भविष्य में जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी। अस्तु यह अपरिहार्य हो ग है कि जल का समुचित उपभोग ही किया जाए तथा जलापूर्ति की निरन्तरता बन रखने हेतु मीटर युक्त जलापूर्ति एवं जल के उपयोग की बढ़ती मात्रा के अनुसार बढ़ हुये जल मूल्य की प्रस्तावित व्यवस्था (वॉल्यूमैट्रिक टैलिस्कोपिक ब्लॉक टैरिफ प्ला जनहित में लागू किया जाय।

3— अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ तथा मथुरा में मीटर यु जल सम्पूर्ति प्रणाली तथा मात्रा आधारित जल उपभोग विविध स्तरीय जल म निर्धारण (वाल्यूमैट्रिक मल्टीलेवल टैरिफ प्लान) की व्यवस्था लागू किया जाये तथा

MISS G O

की मात्रा के बढ़ते क्रम में बढता हुआ मूल्य (वॉल्यूमैट्रिक टैलिस्कोपिक ब्लॉक टैरिफ) निर्धारित किया जाये। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 घटक में शामिल उपर्युक्त सात नगरों की पेयजल योजनाओं में मीटर युक्त जल संयोजन प्रणाली का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि का उपयोग मीटर क्रय करने तथा उनकी स्थापना कराने के कार्यों पर किया जायेगा। इस कार्य का संचालन व अनुरक्षण संबंधित जल संस्थानों/ स्थानीय निकायों में उपलब्ध स्टाफ/आवश्यकता के अनुरूप निजी संस्थाओं की भागीदारी के आधार पर किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन) 21/12/09
प्रमुख सचिव।

1) जनपद 21/12/09